राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत खोहल्या

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या – 156/2014

निर्णय दिनांक– 14.06.2018

उनवान

प्यारेलाल पि0मु0 चतरा जाति मीणा निवासी खोहल्या तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)
वादी

बनाम

तहसीलदार उनियारा जिला टोंक प्रतिवादी

दावा बाबत उदघोषणा

उपस्थित– 1. श्री बेणीप्रसाद मीणा वकील वादी
2. पेरोकार सरकार

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:–

यह है कि भूमि ख0न0 126 रकबा 0.08, 138 रकबा 0.15, 1250 रकबा 0.39 कुल किता 3 कुल रकबा 0.62 है0 वाके ग्राम खोहल्या तहसील उनियारा मे स्थित है। जो राजस्व रेकार्ड मे वादी के दत्तक पिता चतरा के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। वादी के दत्तक पिता चतरा की मृत्यु दिनांक 8.5.1994 को हो चुकी है। चतरा अविवाहित था तथा अपने जीवनकाल मे ही वादी को बचपन से ही गोद लेकर दत्तक पुत्र के रूप मे अपने पास रख लिया था। वादी के वयस्क होने के बाद शादी भी दत्तक पिता चतरा ने ही करवाई थी। चतरा जब तक जीवित रहे, तब तक वादी ने ही उनकी सेवा सुश्रषा की तथा मृत्यु के उपरांत वादी ने ही हिन्दु रीति रिवाजो के अनुसार चतरा का अन्तिम कियाकर्म किया था तथा गांव व समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति मे पगडी की रस्म वादी के साथ ही सम्पन्न हुई थी। इस प्रकार वादी चतरा का दत्तक पुत्र है। वादी बाल्य अवस्था मे ही अपने प्राकृतिक माता पिता की सहमति से तथा दत्तक पिता चतरा की स्वतंत्र सहमति से ही चतरा के गोद चला गया था। वादग्रस्त आराजीयात पर वादी ही निरंतर काबिज है। वादी के अलावा इस आराजी से किसी अन्य व्यक्ति का कोई हक व हिस्सा नही है। वादी द्वारा कई बार विरासत का नामान्तरकरण खुलवाने के लिये प्रतिवादी को लिखित व मौखिक रूप से आवेदन किया लेकिन प्रतिवादी द्वारा आज तक भी वादी के पक्ष मे नामान्तरकरण नही खोला, जिसका उन्हे कोई हक व अधिकार नही है। मृतक वादी का सगा चाचा है। इस कारण ही यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

यह कि वादी की अधियाचना है कि वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण सादर डिक्री फरमाया जावें। आराजी खसरा नम्बर 126 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 138 रकबा 0.15 हैक्टर , खसरा नम्बर 1250 रकबा 0.39 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 0.62 हैक्टर वाके ग्राम खोहल्या तहसील उनियारा जिला टोंक का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें सम्मन तलब किया गया ।

तहसीलदार उनियारा द्वारा दिनांक 30.5.2016 को जवाब प्रस्तुत किया कि ग्राम खोहल्या आराजी ख0न0 126, 138, 1250 चतरा पि0 जोधा कोम मीना सा0 देह की खातेदारी मे अंकित है। वादी का दत्तक पुत्र होना मुताबिक दस्तावेजात प्रमाणित नही है। पंजीवद्व गोद पत्र सलंग्न नही किया है। बिना उत्तराधिकार प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति को वारिस घोषित किया जाना नियमानुसार सही नही है। न्यायालय हाजा को विरासतन अधिकार दिये जाने का श्रवणाधिकार नही है।

उभय पक्षों को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार के तहत नोटिस जारी होने के बाद पत्रावली राजस्व लोक अदालत मे पेश हुयी। उभय पक्ष उपस्थित।

उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। बहस पर गोर किया गया। पत्रावली व उसपर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । नकल, जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 वाके ग्राम खोहल्या में आराजी खसरा नम्बर 126, 138, 1250 कुल किता 3 कुल रकबा 0.62 है0 चतरा पि0 जोधा जाति मीना सा0 देह की खातेदारी मे अंकित है। सरपंच ग्राम पंचायत खोहल्या द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र दिनांक 30.5.2016 के अनुसार चतरा पुत्र जोधा जाति मीना निवासी खोहल्या की मृत्यु को चुकी है, जिसके कोई संतान नही है। मृतक चतरा ने अपने जीवनकाल मे प्यारेलाल मीना को गोद ले लिया था तथा चतरा की मृत्यु के बाद किये जाने वाले धार्मिक संस्कार प्यारेलाल के द्वारा ही किये गये थे तथा पगडी का दस्तुर प्यारेलाल के हुआ था। मृतक चतरा द्वारा छोडी गई कृषि भूमि पर उसके दत्तक पुत्र प्यारेलाल का ही कब्जा काश्त आज तक चला आ रहा है। पंचनामा दिनांक 14.06.2018 के अनुसार चतरा के कोई संतान नही थी। उसकी मृत्यु के पूर्व बीमारी का ईलाज एवं देखरेख भतीजे प्यारेलाल मीना के द्वारा की गई थी। मृत्यु भी प्यारेलाल के घर पर बीमारी के कारण हुई थी। जिसके मृत्यु उपरांत समस्त धार्मिक संस्कार कार्य प्यारेलाल द्वारा ही किये गये थे तथा पगडी की रस्म भी प्यारेलाल मीना के की गई। वादी द्वारा प्यारेलाल, रामफूल, शोदास, कमलेश व रामनिवास के प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार भी चतरा की मृत्यु दिनांक 8.5.1994 को हो गई है, जिन्होने अपने जीवनकाल मे ही प्यारेलाल को बचपन मे ही गोद ले लिया था, पुत्रवत अपने पास रखा तथा प्यारेलाल का पालन पोषण शादी आदि भी चतरा द्वारा ही करवाई गई थी। उनकी मृत्यु के उपरान्त उनका दाह संस्कार, अन्तिम कियाकर्म आदि सभी कार्य प्यारेलाल द्वारा ही किये गये थे। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा प्यारेलाल के पगडी बंधवाई थी। प्यारेलाल चतरा के जीवनकाल से ही उक्त आराजी पर चतरा का वारिस बनकर काबिज काश्त चला आ रहा है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि चतरा लाऔलाद फोत हुआ है, जिसके कोई जायन्दा पुत्र/पुत्रियां नही है। चतरा अपने जीवनकाल मे प्यारेलाल के पास ही रहा है तथा उसकी सेवा सुश्रषा प्यारेलाल के द्वारा ही की गई है तथा चतरा की मृत्यु के बाद उसके सभी धार्मिक कार्यक्रम प्यारेलाल के द्वारा ही किये गये है तथा चतरा की मृत्यु के बाद पगडी का दस्तुर भी

उप खण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

प्यारेलाल के ही होना पाया जाता है। साक्ष्य वादीगण से वादग्रस्त आराजीयात पर वादी का कब्जा काश्त होना पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय वादी के वाद को स्वीकार करना उचित समझता है। आराजी खसरा नम्बर 126 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 138 रकबा 0.15 हैक्टर , खसरा नम्बर 1250 रकबा 0.39 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 0.62 हेक्टर वाके ग्राम खोहल्या तहसील उनियारा जिला टोंक का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करें।

यह निर्णय आज दिनांक 14.06.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कैलाश चन्द गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा
जिला टोंक (राज0)
उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner